न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 22 / 2025 जीसीएमएस केस नम्बर 2025 / 258

उनवान

1. स्व. जमना पिता उदा माली निवासी रायला, तहसील बनेडा मृतक के बजाय–
   (1) लाली पत्नि स्व. जमना माली निवासी रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।
   (2) रामेश्वर पुत्र स्व. जमना माली निवासी रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।
   (3) बबलू पुत्र स्व. जमना माली निवासी रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।
   (4) प्रेमी पुत्री स्व. जमना माली निवासी रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।
   (5) लाड पुत्री स्व. जमना माली निवासी रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बनेडा, जिला भीलवाडा जरिये राजस्थान राज्य।
2. रामदेव पिता नन्दा खटीक निवासी रायला, तहसील बनेडा।
3. तहसीलदार बनेडा, जिला भीलवाडा जरिये राजस्थान राज्य।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण संख्या 566 / 2025 जमना वगैरह बनाम रामदेव वगैरह को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु

–: आदेश :–

दिनांक : 03 / 12 / 2025

1– पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– हम प्रार्थीगणों के पांच प्रकरण लंबित रहते हुये अप्रार्थी ने प्रभावित लोभित एवं भूमाफिया से सांठ गांठ करके हमारे प्रकरणों में विधि विरुद्ध कार्यवाही संपादित कर रहे है एंव वादीगणों को चेलेंज करके प्रकरण को खारिज कर रहे है। उक्त प्रकरणों में समान पक्षकार समान अधिवक्ता होते हुये भी तीन प्रकरण में पेशिया दे दी और दो प्रकरणों को अदाम हाजरी में खारिज कर दी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की उपस्थिति में जबकि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता किसी भी पेशी में उपस्थित रहते ही नहीं।

2– यह कि तीन–तीन, चार–चार बार के फर्दअहकाम नहीं लिखकर बादबैंकिंग कर अदम हाजिर अंकित कर और इस प्रकार तीन पेशियों की फर्दअहकाम को न लिखकर पक्षकारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं।

2– यह कि प्रार्थनापत्र विधिसम्वत पेश करने पर फेंक देते है और लेने से मना करते है जिसको हमने वीसी के वक्त दिनांक 21.08.2025 इससे पूर्व भी अनेक परिवेदनाएं इस संबंध में दी गई है आप श्रीमान को जन सुनवाई में परिवेदना दी। उक्त परिवेदना को और प्रस्तुत दस्तावेजों को फाईल में नहीं लगाते है और कहते है कि इस तरह कि बहुत शिकायते आती है और परिवेदना को उपखण्ड अधिकारी साहब शिकायत मानते है। कलेक्टर साहब की मार्किंग नहीं होने से उसे रिकोर्ड पर नहीं लेते है और कहते है कि मेरे पास ऐसे पत्र बहुत आते है और दिनांक 27.10.2025 को भी प्रार्थनापत्र एवं तलवाना फार्मो एवं समन को लेने से मना कर दिया जो स्वयं की निशादेही पर तामिल करानी थी। साथ ही तीन महिने में प्रतिलिपि नकल देते है तथा दो वर्षो से निरन्तर यह लिख रहे हैं कि टीडीआर रिपोर्ट मंगाई जावे जो नहीं मंगाई जाती है और स्वयं का इंट्रेस्ट होने पर पटवार इंस्पेक्टर तत्क्षण रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। ज्यों ही रिपोर्ट आती है हमें रिपोर्ट नहीं बताते है और हमारे वादों को बिना विधिक स्टेज के खारिज कर देते हैं। इस प्रकार से हमने सभी परिवेदनाएं कलेक्टर साहब के माध्य से दी है एवं उच्चाधिकारियों को भी परिवेदनाएं दी है इससे नाराज होकर हमारे समस्त प्रकरणों को खारिज कर रहे है। जिससे हम प्रार्थीगणों को आर्थिक मानसिक व

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

शारिरीक संताप पहुंचा रहे है और हम गरीब काश्तकार है भूरसी संग्रहित करने के लिए कर रहे हैं हम गरीब पक्षकार भूरसी नहीं दे सकते है।

अतः हम प्रार्थीगणों के वाद को अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने का निवेदन किया गया।

3– बाद जांच प्रकरण दिनांक 30.10.2025 को पजीबद्व किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश। प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि– प्रार्थीगण के प्र.सं. 57/2022 रे. वाद हस्तु/बंशी वगैरह, 03/2007 रामकुवार/घीसा वगैरह 72/2008 रामचन्द्र/सत्यनारायण वगैरह, 03/2019 हजारी/कैलाश वगै0, 108/2012 जमना/रामदेव, 160/2019 प्रा.पत्र जमना/रामदेव जैर कार्यवाही एस.डी.एम. साहब बनेडा में लम्बित दिनांक 05.08.2024 को पेशी नियत थी, एवं प्रार्थीगण संयुक्त परिवार के सदस्य होकर वाद कार्यवाही में अपने अधिवक्ता के मामले की प्रगति जानने के लिए उपस्थित रहते है। उक्त दिनांक 05.08.2025 को राजस्थान में जनमानस को वर्षा का रेड अलर्ट था एवं उक्त सम्बन्ध में अधिवक्तागण के संघ (बार एसोसिएशन) द्वारा कार्य स्थगन था जिससे हमें उपस्थित रहने के लिए दूरभाष पर कहा गया। प्रार्थीगण की उपस्थिति रहते हुए दो प्रकरण को खारिज कर दिया एवं तीन में पेशी दी गई, जबकि पांचो प्रकरणा में रामेश्वर आवश्यक पक्षकार है एवं उक्त दिनांक को अत्यधिक अनुनय विनय के पश्चात भी 108/2012 व 160/2019 रामदेव/जमना वगैरह खारिज कर दिया। यथार्थ में रामदेव व उसके अधिवक्ता उपस्थित थे ही नहीं। रूटीन में उपस्थिति दर्ज की गई। माननीय उपखण्ड अधिकारी निज तहसील में तहसीलदार एवं गृह जिले में SDM के पद पर स्थापित रहते हुए रिश्तेदारों, रसूखदारो, भूमाफियाओं, दलालो, नेताओ से प्रभावित, प्रलोभित होकर सांठ गांठ कर हमारे प्रकरणों में पूरी तरह से विधि विरूद्ध कार्यवाही चेलेंज करके कर रहे है जो हमारे प्रति अन्यायपूर्ण है। विधि विरूद्ध कार्यवाही से आर्थिक मानसिक संताप तथा शारीरिक संताप पहुंचा रहे है। पीठासीन महोदय ने हमारे प्रकरणों में सिविल नेचर मानसिकता ही हटा ली। विधि विरूद्ध कार्यवाही अमल में लानी शुरू कर दी। पत्रावलीयों की कार्यवाही स्टेज जम्प कर विधि सम्बन्ध लगने वाले प्रार्थनापत्रों, प्रोसेस सम्मनों को फेंकना, छिपाना, प्रकट करना, अपने ही आदेश को उलटना, हरबार की पेशियों को लिंगर ऑन करने की/अदम हाजरी में खारिज करने की बगरज से मौका देखते रहते है। पेशियां नजदीक देना अच्छी बात है पर दो वर्ष से प्रकरण सं. 108/2012 में ज्क्त रिपोर्ट तथा इसी के प्रार्थनापत्र (212) में 160/2019 रामदेव/जमना में दो बार रिटर्न बहस देने के पश्चात भी तथा अपर न्यायालय के 30 दिवस का पुनः आदेश–निर्देश होते हुए भी प्रकरण में टीडीआर रिपोर्ट के बाबत अद्य दिवस (अंतिम दिनांक तक) यही लिखकर हमारी साक्ष्य को आगे नहीं बढने दे रहे है। जबकि टीडीआर रिपोर्ट के लिए नायब तहसीलदार साहब न्यायालय में बिराजते है। फर्द अहकाम में कुछ लिखते, मौखिक कुछ करते है जो न्याय की ग्राह्यता में बाधक है। रिपोर्ट व फर्द अहकाम श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। इसी से खिन्न होकर क्योंकि अपर आदेश को धता बताते हुए मुकदमा सं. 160/2019 को बाद पुनः दायर प्रकरण से खारिज कर दिया। नकल प्रार्थनापत्र पेश करने पर नकल नहीं देना, बार–बार घुमाना, बहाने बहाना, उक्त प्रकरण में नकल नहीं देना, प्रार्थनापत्रों को सीधे मनीष बाबू को देना, नायब साहब के द्वारा मार्क के बाद भी प्रार्थनापत्रों को छिपाना, नकले नहीं देने के कारण श्रीमान के समक्ष अनेकानेक परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई। प्रकरण सं. 03/2007 रामकुवार/घीसा में संलग्न प्र.सं. 72/2008 रामचन्द्र/सत्यनारायण में भी वर्षो से टीडीआर रिपोर्ट के लिए लिखते रहे है, तथा मौजूदा पीठासीन अधिकारी भी इसी प्रोसीडिंग से तमाम पेशियां बदलते रहे तथा दिनांक 20.08.2025 को भी वही पेशियां तब्दीली के हिसाब से लिखते की टीडीआर रिपोर्ट मंगवाई जावे। हर कोर्ट दिनांक को सरकार पेशकार की हैसियत से उपस्थित रहते जो टीडीआर रिपोर्ट नहीं मंगवा सकते है। इसी दिन आदेश 26 नियम 9 का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि गे.मु. बाली में तार लगाकर व पक्का निर्माण कार्य कर एक ओर प्राकृतिक बहाव को अवरूद्ध कर रहे है एवं हमारे 1024 के (आ.नम्बर) के बढे हुए हिस्से पर भूमाफिया कब्जा कर रहे का प्रार्थनापत्र न्यायालय में पेश करने पर फेंक देते है जो एस.डी.एम. साहब की आपराधिक मानसिकता है एवं न्याय सुलभ प्रदाता में बाधक रही है। मजह प्रकरण भूमाफिया एवं अन्य कॉलोनियों में तात्कालीन नायब तहसीलदार गोपाल जीनगर साहब एवं एस.डी.एम साहब की हिस्सेदारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रही है जिससे टीडीआर रिपोर्ट कोसो दूर रही है तथा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

इस सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2025 को फेके गये प्रार्थनापत्र को पुनः रिकॉर्ड पर रखने के लिए आपके द्वारा दिनांक 21.08.2025 को जनसुनवाई में देने पर न तो रेकॉर्ड पर लिया गया है। इस प्रार्थनापत्र में अनेक विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का निवेदन किया। आपने लगाये जा रहे प्रार्थनापत्रों को रेकॉर्ड पर रखने का निर्देश होते हुए भी पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई ध्यान नहीं देकर अपना व्यक्तिगत इश्यू बनाकर ऐनकेन प्रकरण वाद को दिनांक 27.10.2025 को वाद द्वय को रिपोर्ट मंगवाने के बजाय आई.एल.आर को बुलाकर कन्ट्रोवर्सी न्यायालय को आदेश दे रहे है। इनको वादीगण, प्रतिवादीगण दोनों को कुछ नहीं दिया जा सकता एवं इसी दिनांक को बिना रिपोर्ट की नकल दिये/बताये हमने एक प्रार्थनापत्र विस्तृत बिन्दुओं के साथ इस आशय के साथ न्यायालय में पेश किया कि हमें आपसे कोई न्याय नहीं चाहिए। फिर उस प्रार्थनापत्र को फेंक दिया जिसका ई–मेल श्रीमान सी.एस. साहब जयपुर को किया गया तथा एस.डी.एम. साहब बनेडा को रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजा गया फिर भी बाहरी व्यक्ति से हठधर्मिता के चलते निर्णय प्रतिपादित कर दिया जबकि इसी प्रार्थनापत्र को श्रीमान को भी अपनी परिवेदना के साथ दिया गया(मूल प्रार्थनापत्र) एवं आदेश 26 नियम 9 का प्रार्थनापत्र इजलास से फेंकना एवं गे.मु. बाली पर श्रीकान्त जी व्यास का प्रत्यक्षतः भूमाफियाओं की सांठगांठ से हजारो वर्गफिट देने के आशय से इस प्रकार का निर्णय दिया कि वादी एवं प्रतिवादीगण को लाभ देने के बजाय सीधे तौर पर श्रीकान्त व्यास जी के मिलने वाले भूमाफिया को देना था। न तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को इससे लाभ (न्याय का) दिया बल्कि सीधे तौर पर भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया गया। कोर्ट में अनऑफीसियल बुलाया गया (भूमाफिया) को तथा इसी प्रकार शेष बचे प्रकरणो में भी टीडीआर रिपोर्ट के बहाने हमारी आराजी व चाह को अन्य को आवंटन के मुकाबले 10 बीघा पर कब्जा करा दिया हैं। जांच के विषय है। अनेकानेक परिवेदनाएं श्रीमान को, सी.एस. साहब को, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी जो जांच का विषय है। प्रार्थनापत्रों, को फेंकना, नकले नहीं देना, पत्रो को छिपाना, स्वयं को भूमाफियाओं से रसूखदारो के माध्यम से निर्णयों को प्रभावित कर स्वयं को (पीठासीन अधिकारी) लाभान्वित कर हमारे को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति पहुंचा रहे है जो कि न्याय प्रदाता की श्रेणी में आता नहीं बल्कि आपराधिक वृति का धोतक है।

हस्तगत प्रकरण 57/2022 हस्तु/बंशी में भी सभी को (प्रतिवादीगणों) को सम्मन नोटिस तामिल के बाद भी पुनः मौका देना, फिर सम्मन जारी करना तथा रजिस्टर्ड नोटिस तथा डिलेवर्ड रिपोर्ट लाकर देने पर एकपक्षीय कार्यवाही लाई गयी तथा प्रतिवादी सं. 1/1 जेतू पत्नि बंशी को प्रोसेसर सर्वर द्वारा एवं डाक द्वारा तामील नहीं होने पर मय तलवाना प्रोसेस तथा सम्मन भरकर स्वयं की (वादीगण की) निशादेही पर तामील करवाने के लिए देने पर एस.डी.एम. साहब द्वारा नहीं लेने पर ज्यों का त्यों फार्म सम्मन मार्फत आपको परिवेदना के साथ दूसरे दिन प्र स्तुत किया जाकर पुनः एसडीएम साहब बनेडा को भेजा गया । एसडीएम. साहब हर पत्र पर कलेक्टर साहब द्वारा मार्किंग नहीं होने से निस्तारण के बजाय एक तरफ डालना किस मानसिकता को दर्शाता है? अपनी ही कोर्ट के फैसले को बदलना प्रतिवादी सं. 3 के तुलसीराम का नाम एक बार डिलीट करने पर पुनः कायम मुकाम के लिए मौखिक आदेश से सम्मन तलवाना भरकर देने पर तथा विधि सम्मत तामील प्राप्त के बाद भी फाईल में लगा देते तथा कुछ भी कार्यवाही नहीं कर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रहे है। इस हेतु हम न्याय की प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए शीघ्रता कर रहे, साक्ष्य शुरू करवाना चाह रहे है। सभी पार्टियों के एक्स पार्टी कार्यवाही होनी है सिर्फ प्रतिवादी सं. 02 शंकरलाल के वारिसान की ओर से अधिकारपत्र पेश हुआ। संशोधित वाद जवाब चाहते पांच दस पेशियां हो चुकी है पर कोई जवाब पेश करना नही चाह रहे है। केस पुराना होकर हमारी साक्ष्य पेश होनी है। इसी दोरान पार्टियां हमारी आरजी को गलत तरतीब दिये गये नामों की आड में विक्रय कर दिया। रजिस्ट्री केंसल के बाद भी नाम नहीं काटे जा रहे है। आराजी नम्बर 1262 पर माननीय न्यायालय एडीजे साहब के निर्णय, डिक्री का स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश का दाखला होते हुए भी गोपाल जीनगर साहब के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा हटाकर अस्थाई निषेधाज्ञा कर दिया क्योंकि स्वयं गोपाल जीनगर तात्कालीन नायब तहसीलदार रायला हमारे पर दबाव बनाकर क्रय करना चाह रहे थे। नहीं देने पर उक्त दाखला को बदल दिया जो रेकॉर्ड में हेराफेरी में होकर नायब तहसीलदार साहब का आपराधिक कृत्य है। जबकि इस आराजी के सम्बन्ध में ही यही वाद है। श्री गोपाल लाल जी द्वारा अन्य कॉलोनियां कोलोनाईजर के कारण स्वयं के व परिजन के द्वारा बनायी जा रही जो अलग जांच का विषय है। पुराना 108/2012 रामदेव/जमना वगैरह को बिना वजह खारिज पक्षकारो की उपस्थिति में किया गया एवं पुनः नम्बर पर लेने तक मूलवाद में पीठासीन

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अधिकारी द्वारा टीडीआर रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक 01.12.2025 तक वांछित की जो दो तीन वर्ष हो गये। इसका ध्यान कोर्ट में बेठने वाले सरकार के पेरोकार, नायम साहब कोर्ट में मोजूद रहते है फिर भी दो–तीन वर्षो से टीडीआर रिपोर्ट नहीं आई। सिर्फ पीठासीन अधिकारी महोदय एवं तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री गोपाल जीनगर का उद्धेश्य प्रार्थीगण के पिता जमना को वर्ष 1983 में आवंटित भूमि (आ.नं. 4091/276) 5 बीघा को हडपकर अपने जातीय मित्र रामदेव को मेरा कुआं एवं जमीन पर 10 बीघा पर जीनगर ने डोर लगवा दी। दोनो अधिकारी की मिलाभगती से रामदेव को 10 बीघा एवं मेरे द्वारा निर्मित कुआ पर तारबंदी करवा दी। वर्षो से प्रकरण में टीडीआर रिपोर्ट मांग रहे है तथा (212 आर.टी.ए) एक्ट के प्रार्थनापत्र से स्थगन नहीं देकर तथा साक्ष्य नहीं होने देना तथा श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जी का प्रकरण सं. 160/2019 जमना/रामदेव में 30 दिवस में मामले पर निर्णय प्रतिपादित का होने पर भी श्रीमान को उच्च अधिकारियो को इस सम्बन्ध में परिवेदना देने पर भी कोई ध्यान न देकर दिनांक 27.10.2025 को मनमकसूद ढंग से खारिज कर दिया इससे पूर्व अदम हाजरी एवं अब नकल मिलने पर अपील का विषय रहेगा। इस प्रकार मामले को टीडीआर रिपोर्ट न वांछित करना जबकि इन श्रीमान को न्यायहित के बजाय अपने स्वार्थ, इन्टरेस्ट के लिए कुछ ही क्षणो में अपने अधीनस्थों से फर्जी रिपोर्ट बनाकर पेश कर हमें अपीलीय विचारण के टेंशन में डाल रहे है। न्याय में बाधा, हमें लेटिगेशन में डाल रहे है। प्रार्थनापत्रों को फेंकना, गायब करना, नकले नहीं देना(रोकना), उक्त अधिकारिगण के आचरण, व्यवहार न्यायहित में नहीं होने से प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरित करने एवं दोषी अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही फरमायी जाने का निवेदन किया गया।

4– विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए रिपोर्ट में अंकित किया गया कि– न्यायालय हाजा में प्रार्थीगणों द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके कम्प्यूटर वाद संख्या 566/2025 व प्रकरण संख्या 232/2025 अनवान जमना बनाम रामदेव दर्ज किया जाकर पत्रावली तारीख पेशी 01.12.2025 नियत है।

5– उक्त विचाराधीन पत्रावली में संबंधित सभी पक्षकारों की विधिवत तामील न्यायालय हाजा द्वारा करवाई गई जिसके उपरान्त पत्रावली में वादी जमना पिता उदा माली का निधन हो जाने से पुनः संशोधित अनवान पेश किया गया जिस पर भी न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत रूप से तामील पूर्ण करवाई गई वर्तमान में न्यायिक प्रकिया हेतु कशीश्नर रिपोर्ट तलब किये जाने बाबत तहसीलदार बनेडा से रिपोर्ट चाही गई है। प्रार्थीगण द्वारा जब भी कोई प्रार्थना पत्र नियत तारीख पेश पर पत्रावली से संबंधित प्रस्तुत किया गया उसे न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र को शा0फा0 किया गया। अन्य तथ्य बेबुनियाद एवं मनगढत होने से अस्वीकार है।

6– दिनांक 05.08.2024 को प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता बावजूद सूचना के नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से पत्रावली को न्यायिक प्रकिया के तहत अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के तहत खारीज कर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की गई। प्रार्थी के द्वारा उक्त बिन्दु में ऐसे किसी प्रकरण विशेष का उल्लेख नहीं किया है जिसमें फर्द अहकाम नहीं लिखें हो तथा पक्षकारान के अधिवक्ता को आगामी सुनवाई की तारीख जो दी जाती है वही पत्रावली पर अंकित की जाती है। प्रार्थी के द्वारा जो तथ्य इस बिन्दु में अंकित किए है वे सभी बेबुनियाद एवं मनगढत होने से अस्वीकार है।

7– प्रार्थीगणों द्वारा पुनः आदेश 9 नियम 9 जा0दी0 व धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया जिस पर भी न्यायालय हाजा द्वारा सहानुभुति पूर्वक विचार करते हुए दिनांक 18.06.2025 को स्वीकार फरमाया जाकर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर पर लिया गया जो की वर्तमान में न्यायालय हाजा में न्यायिक प्रकियाधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगणों द्वारा जब जब भी कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसे न्यायालय हाजा द्वारा न्यायिक प्रकिया के तहत स्वीकार किया गया है प्रार्थी की शिकायत झूठी एवं

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मिथ्या है। उक्त विचाराधीन पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 01.12.2025 नियत है तथा कशीश्नर रिपोर्ट चाही गई है जो की अप्राप्त है। प्रार्थीगण यदि किसी अन्य न्यायालय में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रार्थीगणों द्वारा की गई शिकायत में वर्णित तथ्य मिथ्या एवं असत्य होकर प्रार्थीगणों द्वारा न्यायिक प्रकिया में अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है तथा नियत तारीख पेशी पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में विचाराधीन अन्य प्रकरणों में भी हस्तक्षेप कर न्यायिक कार्य को बाधित किया जाता रहा है का निवेदन किया गया।

5– **उभयपक्षकारान अधिवक्तागणों ने अपने प्रार्थनापत्र/जवाब/टिप्पणी में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए अपनी बहस पूर्ण की। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय का विवचेन इस प्रकार है कि–** प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अपने प्रार्थनापत्र एवं बहस में जो कथन उल्लेखित किये है, तथा जो आशंकाए अभिव्यक्ति की गई है। संबंधित आशंकाओं के आधार पर विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई किसी प्रकार से प्रभावित हो रही है, ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों पर प्रमाणित नहीं पाया गया है। चूंकि मौजूदा प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा द्वारा उक्त प्रकरण में विचारण के सम्बंध में जो कार्यवाही एवं प्रक्रिया जारी है, वह विधि सम्मत होकर उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात एवं एकपक्षीय झुकाव के तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं आये है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन, तथ्यहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं ठहरता है। अतएंव –

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौजूदा प्रार्थनापत्र दिनांक 29.10.2025 खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में सभी विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का सुमचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण, विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

उक्त आदेश आज दिनांक 03–12–2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार हो।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा